भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2570
05 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति

2570. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-तटीय क्षेत्रों में प्राथमिक मछुआरा सहकारी समितियाँ, जो पट्टे पर दिए गए तालाबों और मछली पकड़ने के क्षेत्रों जैसे साझा संसाधनों का प्रबंधन करती हैं, आजीविका संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही हैं;
(ख) क्या सरकार को इन समितियों को प्रभावित करने वाले हस्तक्षेप, कुप्रबंधन या योजना दिशानिर्देशों से विचलन के संबंध में कोई शिकायत या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राथमिक मछुआरा सहकारी समितियाँ सरकारी योजनाओं के उद्देश्यों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और टिकाऊ तरीके से संचालित हों कोई केंद्रीय सतर्कता या निगरानी तंत्र है,
(घ) यदि हाँ, तो ऐसे तंत्र का ब्यौरा क्या है और हाल के मामलों में क्या कार्रवाई की गई है; और
(ङ) क्या सरकार गरीब मछुआरों और उनकी सहकारी समितियों, विशेष रूप से गैर-तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में, हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत निवारण प्रणाली और सख्त अनुपालन निगरानी स्थापित करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) और (ख) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा वर्तमान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत, गैर-तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में मात्स्यिकी सहकारी समितियों के गठन के लिए सक्रिय रूप से सहायता प्रदान की जाती है। मत्स्यपालन विभाग ने मौजूदा 2000 मात्स्यिकी सहकारी समितियों को मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों [फिश फार्मर प्रोड्यूसर ओरगेनाईज़ेशन्स (FFPOs)] के रूप में विकसित करने और 195 नए FFPOs के गठन को स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) के माध्यम से मत्स्यपालन विभाग ने वर्ष 2024-25 से 2033-34 तक दस वर्षों की अवधि में बड़े जलाशयों/तटीय क्षेत्रों के सहकारिता के लाभ से कवर न किए गए पंचायतों/गाँवों में 12,000 मात्स्यिकी सहकारी समितियों के गठन हेतु एक कार्य योजना तैयार की है। यह योजना दो चरणों में कार्यान्वित की जाएगी अर्थात 2024-25 से 2028-29 तक 6000 और 2028-29 से 2033-34 तक 6000 मात्स्यिकी सहकारी समितियां गठित की जाएंगी । इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY) के अंतर्गत, जो PMMSY की एक उप-योजना है, 5500 प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियों को परामर्श, क्षमता निर्माण और आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें संगठित रूप देने और सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, विभाग को हस्तक्षेप, कुप्रबंधन या योजना के दिशा-निर्देशों से विचलन के संबंध में कोई शिकायत या अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि सहकारी समितियां सहकारी समिति अधिनियम के दायरे में हैं और जल निकायों का स्वामित्व संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के पास है और तदनुसार, शिकायतों का समाधान राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर किया जाता है।

(ख) और (घ) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत सहकारी समितियाँ राज्य का विषय हैं। इस प्रकार, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संचालित सहकारी समितियाँ उस राज्य के सहकारी समिति अधिनियम द्वारा शासित होती हैं, जिसमें सरकारी योजनाओं के निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र होता है।

(ड) देश में गैर-तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों सहित गरीब मछुआरों और उनकी सहकारी समितियों के हितों की रक्षा के लिए, मत्स्यपालन विभाग, सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से समय-समय पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करता है, ताकि सहकारी समितियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही उन्हें नेशनल फिशरीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म और सहकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर पंजीकरण के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

****